-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मटौंध पुलिस द्वारा फर्जी गवाहों/विक्रेताओं के माध्यम से कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले संगठित गिरोह का किया गया पर्दाफाश।**
- **25-25 हजार रुपए के इनामियां 02 वांछित अभियुक्तों व चकबंदी लेखपाल सहित कुल 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा फर्जी गवाहों एवं विक्रेताओं के माध्यम से कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 25-25 हजार रुपए के इनामिया 02 वांछित अभियुक्तों व लेखपाल सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर सूचना दी गई कि दिनांक 06.08.2025 को उनकी जमीन को कुछ लोगों द्वारा योजना बनाकर कूटरचित दस्तावेजों व आधार कार्ड का प्रयोग कर उनकी हटेटी पुरवा की लगभग 34 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बिजली खेड़ा निवासी आजम खान के नाम कर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पूर्व में घटना में शामिल कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा 25-25 हजार रुपए के 02 इनामियां अभियुक्तों व लेखपाल सहित कुल 04 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रकरण में अब तक कुल 07 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि पूरे प्रकरण में मुख्य अभियुक्त राजेश पुत्र मोहनलाल निवासी खाईपार हाल पता बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा है जो अपने साथियों हरीकरन, अनिल, रज्जू, खेमराज, केदार आदि के साथ मिलकर फर्जी जमीनों की रजिस्ट्री/खरीद-बिक्री कराने का गिरोह चलाता है। इसके द्वारा जमीन खरीद-बिक्री से लेकर, फर्जी/कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने, पैसे का लेन-देन व मध्यस्थता आदि कराने के साथ-साथ फर्जी गवाह व फर्जी जमीन विक्रेता बनाने/व्यवस्था कराने का कार्य किया जाता था। जिसमें इसका मदद चकबंदी लेखपाल विजय प्रकाश पुत्र धर्मनारायण निवासी पियरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा जमीनों की जानकारी देकर की जाती थी जैसे- कौन सी जमीनों का वारिस कोई नहीं है या आर्थिक रुप से कमजोर है या जिसको कानून की जानकारी कम है, कौन से जमीन के मालिक की मृत्यु हो चुकी हो आदि प्रकार की जानकारी देने के साथ-साथ जमीनों के कागजात उपलब्ध कराया जाता था। इस प्रकरण में आजम खान पुत्र अयूब खान जमीन का खरीददार है जो यह जानते हुए भी कि यह फर्जी रजिस्ट्री है फिर भी उसके द्वारा जमीन को खरीदा गया था। कूट रचित दस्तावेजो/आधार कार्ड आदि को उपलब्ध/तैयार कराने कराने का कार्य श्रीराम पुत्र राजकुमार निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा द्वारा किया जाता था। जिसे वह क्योटरा के पास स्थित श्रीराम मोबाइल प्वाइंट नामक दूकान से किया जाता था।

बरामदगी-

- फर्जी आधार कार्ड बनाने के उपकरण- 02 लैपटाप, 01 सीपीयू, 01 कलर प्रिंटर आदि
- 06 चेक 38 लाख रुपए का (04 एचडीएफसी बैंक व 02 आर्यवर्त बैंक)
- 02 सेट जमीन रजिट्री की छायाप्रति
- 41 आधार कार्ड

- 01 ई-श्रम कार्ड
- 01 वोटर कार्ड
- 01 पैन कार्ड

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश पुत्र मोहनलाल निवासी खाईपार हाल पता बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। **(मुख्य अभियुक्त व ₹25 हजार का इनामी)**
2. विजय प्रकाश पुत्र धर्मनारायण निवासी पियरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट। **(चकबंदी लेखपाल)**
3. श्रीराम पुत्र राजकुमार निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा। **(फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला)**
4. हरीकरन पुत्र नत्थू निवासी करछा थाना मटौंध जनपद बांदा। **(₹25 हजार का इनामी)**

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आजम खान पुत्र अयूब खान निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। **(फर्जी जमीन खरीददार)**
2. भागवत प्रसाद उर्फ बबलू पुत्र विष्णु निवासी जौरही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा। **(फर्जी गवाह)**
3. दिलीप पुत्र इन्द्रपाल निवासी लुकतरा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा। **(फर्जी गवाह)**
4. रज्जू उर्फ नेमकुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी गोड़ी बाबा खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. अनिल कुमार पुत्र रामकेश निवासी पिपरगवां थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
6. खेमराज उर्फ सन्तोष पुत्र राजा भइया निवासी इटवां थाना मटौंध जनपद बांदा
7. केदार पुत्र शिवनंदन निवासी इंटवा थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3)/62(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. निरी0 श्री इंदल यादव
3. उ0नि0 श्री शिवाजी मौर्य
4. कां0 श्याम मोहन
5. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार